मानस अभियान

REPLETE• RESPONSIBLE• READY

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

क्रमांकः—सहायता / 2025 दिनांकः—06 / 01 / 2025

—:आदेश:—

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर एवं बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 11.01.2025 तक जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाने एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं, काना राम, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा एवं प्रबंधन आपदा प्रधिकरण, हनुमानगढ़ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हनुमानगढ़ जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से 11.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्र—छात्राओं हेतु लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान उक्त अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(काना राम)आई.ए.एस.
जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांकः—सहायता / 2025 दिनांकः—06 / 01 / 2025

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेशों की पालना कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा. / प्रा.), हनुमानगढ़।
4. उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार............................समस्त।
5. मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी...................................समस्त।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

जिन्दगी को हां, नशे को ना कहें।